भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 496*

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का उत्पादन

***496. श्री रविन्दर कुशवाहा:**

श्री सुब्रत पाठक:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी वित्त वर्ष में कोयले के उत्पादन के संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया का विचार देश में लगभग 10,000 नई नौकरियां प्रदान करके रोजगार बढ़ाने का भी है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या कोल इंडिया की योजना जल संरक्षण करने तथा कोयला खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों को खान का शोधित जल प्रदान करने के लिए स्वयं को जल शक्ति अभियान से संबद्ध करने की है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को रोजगार के अवसर एवं आमदनी बढ़ाने के लिए विस्थापित स्थानीय व्यक्तियों के लिए एक करोड़ रुपए तक की संविदाएं आरक्षित करने हेतु राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का उत्पादन" के संबंध में श्री रविन्दर कुशवाहा और श्री सुब्रत पाठक, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 06.04.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 496* के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 700 मिलियन टन (एमटी) का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित किया है।

(ख) : कोयला उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार का ध्यान और अधिक कोयला ब्लॉकों के आवंटन के जरिए कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, भूमि अधिग्रहण में सहायता हेतु राज्य सरकार के साथ बातचीत करने और कोयले की आवाजाही के लिए रेलवे के साथ समन्वित प्रयास करने पर है।

इसके अलावा, देश में कोयले के उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

1. राजस्व शेयर कार्यतंत्र पर कोयले की वाणिज्यिक नीलामी: जून 2020 में वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी शुरू होने के बाद से, कुल 4 दौर की नीलामी की गई है, जिसमें कुल 292 कोयला खानों की पेशकश की गई थी। 3 दौरों में 42 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इसके अलावा, नीलामी के चौथे दौर के संबंध में, बोली 02.03.2022 को खोली गई थी तथा 5 कोयला खानों के संबंध में 2 या अधिक बोलियां प्राप्त हुई हैं और 6 कोयला खानों के लिए एकल बोली प्राप्त हुई है।

2. अतिरिक्त कोयला उत्पादन की बिक्री की अनुमति: कोयला मंत्रालय ने खान के साथ जुड़े हुए अन्त्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद, वित्त वर्ष में उत्पादित कुल कोयले या लिग्नाइट के 50 प्रतिशत तक कैप्टिव खान के पट्टेदार द्वारा राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि के भुगतान पर कोयले या लिग्नाइट की बिक्री की अनुमति देने की दृष्टि से खनिज रियायत नियम, 1960 को संशोधित किया है। इस आशय से इस वर्ष के प्रारंभ में खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम में संशोधन किया गया था। यह निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कैप्टिव खानों, दोनों के लिए लागू होता है। इस संशोधन के साथ, सरकार ने उन कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों की खनन क्षमताओं के अधिक से अधिक उपयोग द्वारा बाज़ार में अतिरिक्त कोयले को जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिनका केवल अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले के सीमित उत्पादन के कारण आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा था।

3. रोलिंग नीलामी: नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया को गति देने और वर्ष में नीलामी के और अधिक दौर आयोजित करने के लिए कोयला खानों की रोलिंग नीलामियों के कार्यतंत्र की योजना बनाई गई है। इस कार्यतंत्र के अंतर्गत, एक दौर की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया पूरी होने पर, निम्नलिखित खानों के लिए नीलामी का अगला दौर शुरू किया जाएगा:

i. वे खानें जिनके लिए नीलामी के पिछले दौर में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई या केवल एक बोली प्राप्त हुई (उन खानों को छोड़कर जहां कोयला मंत्रालय नीलामी का दूसरा प्रयास करने का निर्णय लेता है)।
ii. पूर्व आवंटितियों द्वारा छोड़ी गई खानों सहित कोयला मंत्रालय द्वारा चिह्नित नई खानें, यदि कोई हों।

4. सिंगल विंडो क्लीयरेंस: केन्द्र सरकार ने कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने हेतु कोयला क्षेत्र के लिए दिनांक 11.01.2021 को सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल आरंभ किया है। यह एक एकीकृत प्लेटफार्म है

जो भारत में किसी कोयला खान को शुरू करने हेतु आवश्यक अनापत्ति एवं अनुमोदन प्रदान करना सुलभ कराता है। अब, सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाएगा, जो कि न केवल संगत आवेदन प्रारूपों की रूपरेखा तैयार करेगा बल्कि अनुमोदन या मंजूरियां प्रदान करने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाएगा।

5. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल खानों से एक बिलियन टन के कोयला उत्पादन कार्यक्रम की परिकल्पना की है। सीआईएल ने कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. खान विकासकर्त्ता सह प्रचालक माध्यम द्वारा प्रचालित की जाने वाली लगभग 160 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) क्षमता की 15 परियोजनाओं की पहचान की गई है।
ii. पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2006 के खंड 7 (ii) के तहत पर्यावरण अनापत्ति में विशेष व्यवस्था के माध्यम से क्षमता वृद्धि।
iii. सीआईएल ने 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के अंतर्गत मशीनीकृत कोयला ढुलाई एवं लदान प्रणाली को अपग्रेड करने हेतु कदम उठाए हैं।

(ग) : सीआईएल द्वारा परिकल्पित उच्च उत्पादन को देखते हुए और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तथापि, इस स्तर पर कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता की सही संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों दोनों के स्तर पर क्रमशः कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए जनशक्ति बजटिंग की जाती है। नई भर्ती जनशक्ति बजट के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा खनन कार्यकलापों और संबद्ध कार्यों अर्थात् कोयले का परिवहन और अन्य सहायक कार्यकलापों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी।

(घ) : उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2019 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें कोयले की बिक्री, संबंधित प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयला खनन कार्यकलापों के लिए ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति की सूचना दी गई है जो कि समय-समय पर यथा संशोधित सीएम (एसपी) अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम तथा इस विषय पर अन्य संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन है।

(ङ.) : सीआईएल का उद्देश्य सामुदायिक उपयोग के लिए शोधित खान जल डिस्चार्ज की अधिकतम साझेदारी का प्रयास करना है। 2021-22 में, फरवरी-22 तक, लगभग 5381 एलकेएल औसत खान जल डिस्चार्ज में से, लगभग 2057 एलकेएल खान जल सामुदायिक उपयोग (घरेलू-795 एलकेएल और सिंचाई-1262 एलकेएल) के लिए साझा किया गया था। 726 गांवों में छोड़े गए शोधित खनित जल का उपयोग लगभग 10.67 लाख लाभार्थियों द्वारा किया गया है।

(च) और (छ) : झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के साथ दिनांक 13-11-2021 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) द्वारा एक करोड रू. तक की लागत का कार्य राजमहल क्षेत्र के स्थानीय प्रामाणिक लोगो को दिया जा सकता है। इस संबंध में ईसीएल मुख्यालय द्वारा राजमहल क्षेत्र को आवश्यक दिशानिर्देश दे दिया गया है।

*****